

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :-18/2024

वादीगण

1. पानी देवी पत्नि रामलाल जाति सिरवी निवासी खारडा गुडा चुतरा, तहसील सोजत जिला - पाली राजस्थान
2. भंवरीदेवी पत्नी हरीराम जाति सिरवी निवासी बेरा खारडा गुडा चुतरा तहसील सोजत जिला-पाली राजस्थान
3. लीला कँवर पत्नि किरणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भोजसिंह पुत्र पनेसिंह के का0मु0
1/1 नारायणसिंह पुत्र भोजसिंह
1/2 दूदसिंह पुत्र भोजसिंह
1/3 मगुदेवी पुत्री भोजसिंह
1/4 अणची पुत्री भोजसिंह जातियान रावत निवासीगण रायराकँला-खुर्द तहसील सोजत जिला - पाली
2. रूपसिंह पुत्र पनेसिंह के का0मु0-
2/1 कमला पत्नि रूपसिंह
2/2 पीथसिंह पुत्र रूपसिंह
2/3 शैतानसिंह पुत्र रूपसिंह
2/4 चैनसिंह पुत्र रूपसिंह
2/5 राजूदेवी पुत्री रूपसिंह
2/6 नर्बदा देवी पुत्री रूपसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत
3. रतनसिंह पुत्र पनेसिंह
4. सुखदेवसिंह पुत्र पनेसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द, तहसील सोजत, जिला - पाली राजस्थान
5. किशनसिंह पुत्र पनेसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत
6. बहादुरसिंह पुत्र पनेसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राज0
7. सुगनादेवी /छगनी पत्नी गुलाबसिंह उर्फ गुणेशसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला - खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
8. गुणेशसिंह पुत्र उदेसिंह कौम रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत जिला पाली
9. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री अर्जुनसिंह अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादी तहसीलदार सोजत उप0

-: निर्णय :-

दिनांक - 22/05/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अण्य का पेश किया कि सरहद मौजा रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 कुल खसरा 08 कुल रकबा 1.1000 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 से 08 बावजुद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाई जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2024 को हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर वादस्थ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /2024 /559 दिनांक 13.05.2024 को विभाजन

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (पाली)

प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा०मि० है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का महनता पूर्वक अध्ययन किया गया। नस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 13.05.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रायराकंला खुर्द पटवार हल्का रायराकंला भू०अ०नि० गुडाबीजा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 कुल खसरा 08 कुल रकबा 1.1000की कृषि भूमि का बंटवाडा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

क्र.स.	नाम खातेदार	ख०सं०	रकबा	किस्म	लगान
01	लीलाकंवर पत्नी किरणसिंह 1/2 कौम राजपुरोहित सा० रजत विहार कॉलोनी पाली, पानीदेवी पत्नी रामलाल 1/4 कौम सिरवी भवरीदेवी पत्नी हरिराम 1/4 कौम सिरवी सा० बेरा खारडा गुडा चुतरा खातेदार रहन भवरीदेवी पमीदेवी का हि० एसबीआई शाखा.	1825	0.2000	चा.दो. जा.दो. गे.मु. बेरा	0.08
		1826	0.1500		0.12
		1827	0.0100		0.14
		1828	0.1500		0.01
		1829	0.0400		
		05	0.5500		
02	गुणेशसिंह पुत्र उदेसिंह 1/3 कौम रावत सा०देह, किशनसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21, बहादुसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21, भोजसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21, रतनसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21, रूपसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21 सुखदेव सिंह पुत्र पनेसिंह 2/21, सुगनादेवी पत्नी गुलाबसिंह 2/21 कौम रावत सा० बिलावास खातेदार	1824	0.1600	चा.दो. जा.दो. बेरा	0.13
		1826/1	0.0200		0.03
		1829/1	0.1100		0.02
		1830	0.0400		0.11
		1831	0.2200		0.09
		05	0.5500		8.1600

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्दा दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकाारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकाारी, सोजत
सोजत (राज.)

डिक्री बमुकदमें इत्दादाई

(ब्लो020 नियम 6-7 जावाा पीमान्नी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद 167/2022

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पानी देवी पत्नि रामलाल जाति सिरवी निवासी खारडा गुडा चुतरा, तहसील सोजत जिला - पाली राजस्थान
2. भंवरीदेवी पत्नी हरीराम जाति सिरवी निवासी बेरा खारडा गुडा चुतरा तहसील सोजत जिला-पाली राजस्थान
3. लीला कँवर पत्नि किरणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चाडवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
1. भोजसिंह पुत्र पनेसिंह के का0मु0
1/1 नारायणसिंह पुत्र भोजसिंह
1/2 दूदसिंह पुत्र भोजसिंह
1/3 मगुदेवी पुत्री भोजसिंह
1/4 अणवी पुत्री भोजसिंह जातियान रावत निवासीगण रायराकँला-खुर्द तहसील सोजत जिला - पाली
2. रूपसिंह पुत्र पनेसिंह के का0मु0-
2/1 कमला पत्नि रूपसिंह
2/2 पीथसिंह पुत्र रूपसिंह
2/3 शैतानसिंह पुत्र रूपसिंह
2/4 चैनसिंह पुत्र रूपसिंह
2/5 राजूदेवी पुत्री रूपसिंह
2/6 नर्बदा देवी पुत्री रूपसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत
3. रतनसिंह पुत्र पनेसिंह
4. सुखदेवसिंह पुत्र पनेसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द, तहसील सोजत, जिला - पाली राजस्थान
5. किशनसिंह पुत्र पनेसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत
6. बहादुरसिंह पुत्र पनेसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राज0
7. सुगनादेवी /छगनी पत्नी गुलाबसिंह उर्फ गुणेशसिंह जाति रावत निवासी रायराकँला - खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
8. गुणेशसिंह पुत्र उदेसिंह कौम रावत निवासी रायराकँला- खुर्द तहसील सोजत जिला पाली
9. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजिरी श्री अर्जुनसिंह एवं तहसीलदार सोजत प्रतिवादीग पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इंस अमर की सादिर की जाती हैं कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रायराकँला खुर्द पटवार हल्का रायराकँला भू0अ0नि0 गुडाबीजा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 कुल खसरा 08 कुल रकवा 1.1000की कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकवा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नकशे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकवा	किस्म	लगान
01	लीलाकंवर पत्नी किरणसिंह 1/2 कौम	1825	0.2000	चा.दो.	0.08
	राजपुरोहित सा0 रजत विहार कॉलोनी पाली,	1826	0.1500	जा.दो.	0.12
	पानीदेवी पत्नी रामलाल 1/4 कौम सिरवी	1827	0.0100	गे.मु.	0.14
	भवरीदेवी पत्नी हरिराम 1/4 कौम सिरवी सा0	1828	0.1500	वेरा	0.01
	बेश खारडा गुडा चुतरा खातेदार रहन भवरीदेवी	1829	0.0400		
	पभीदेवी का हि0 एसवीआई शाखा	05	0.5500		
02	गुणेशसिंह पुत्र उदेसिंह 1/3 कौम रावत सा0देह,	1824	0.1600		0.13
	किशनसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21, वहादुसिंह पुत्र	1826/1	0.0200	चा.दो.	0.03
	पनेसिंह 2/21, भोजसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21,	1829/1	0.1100	जा.दो.	0.02
	रतनसिंह पुत्र पनेसिंह 2/21, रूपसिंह पुत्र	1830	0.0400	वेरा	0.11
	पनेसिंह 2/21 सुखदेव सिंह पुत्र पनेसिंह	1831	0.2200		0.09
	2/21, सुगनादेवी पत्नी गुलावसिंह 2/21 कौम				0.13
रावत सा0 विलावास खातेदार	05	0.5500		8.1600	

उक्तानुसार प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोक जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान -

मुबलिग -

बाबत -

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख बसलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/05/24 को जारी की गई।



(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफरिफ	शून्य	शून्य
मुतफरिफ	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)